

वर्तमान परिवेश में हिन्दू विवाह का बदलता स्वरूप : एक विवेचना

ऋचा व्यास

शोधार्थी, समाजशास्त्र, विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

डॉ. महेश कुमार प्राध्यापक

शोध मार्गदर्शक, समाजशास्त्र, विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

सार—हिन्दू धर्म में विवाह को जन्म-जन्मांतर का बंधन माना जाता है तथा विवाह विच्छेद करना सामाजिक दृष्टि से हेय माना जाता है, परंतु कुछ एक दशको में हुये परिवर्तनों के कारण निश्चयात्मक तौर से अब यह नहीं कहा जा सकता कि आज की युवा पीढ़ी जन्म-जन्मांतर के बंधन या धार्मिक कर्तव्य और संस्कार तथा सामाजिक दायित्व बोध से ही विवाह करता है। हिंदुओं में भी विवाह का स्वरूप अब समझौते का बनता जा रहा है। तलाक को कानूनी मान्यता मिल चुकी है लेकिन, इसका तार्पय यह नहीं है कि प्रत्येक हिंदु के लिये अब विवाह का स्वरूप पश्चिम की तरह, समझौते का हो गया है और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, वर्तमान समय में भी हिंदुओं के लिये कानूनी विवाह, विवाह के लिये पंजीकरण, अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह लोकप्रिय नहीं है। कानूनी प्रतिबंध के होते हुये बाल विवाह का प्रचलन है तथा कानूनी संरक्षण के होते हुये भी विधवा विवाह नहीं हो पा रहे। दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है इसके बावजूद भी दहेज का प्रचलन न केवल बना हुआ है बल्कि यह बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रभाव के कारण अन्य समुदायों में भी प्रचलित हो गया है जहाँ इसका प्रचलन पहले नहीं था।

कुंजी शब्द – हिन्दू विवाह, अधिनियम, प्रतिमान मान्यता –

